

राजस्थान सरकार  
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(1-4)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2013 / 4711-4855

दिनांक 30/8/13

:- कार्यालय आदेश :-


एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 यथा संशोधित 2011 के अनुच्छेद संख्या 29 के अनुसरण में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1723-1837 दिनांक 21.02.2013 के माध्यम से जिला स्तर पर स्थापित वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर का अध्यक्ष सम्बन्धित जिला कलक्टर को घोषित किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार जिला स्तर पर कन्वर्जेन्स एवं समन्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर नियमित समीक्षा किये जाने एवं समीक्षा बैठक में कन्वर्जेन्स के उद्देश्य से महानरेगा, बी.आर.जी.एफ. आदि विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का प्रावधान है।

राज्य में संचालित आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं में संचालित की जा रही गतिविधियों में कन्वर्जेन्स एवं सम्बन्धित विभागों में समन्वयन के उद्देश्य से जिला स्तर पर अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर एवं जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1  | अधिकाधिक अभियन्ता, महानरेगा                         | सदस्य      |
| 2  | उपनिदेशक, कृषि                                      | सदस्य      |
| 3  | उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास                       | सदस्य      |
| 4  | जिला पशुपालन अधिकारी                                | सदस्य      |
| 5  | सहायक निदेशक, उद्यानिकी                             | सदस्य      |
| 6  | नाबार्ड के जिला स्तरीय प्रतिनिधि                    | सदस्य      |
| 7  | उप वन संरक्षक                                       | सदस्य      |
| 8  | प्रभारी अधिकारी, बी.आर.जी.एफ.                       | सदस्य      |
| 9  | लेखाधिकारी, जिला परिषद                              | सदस्य      |
| 10 | अधिकाधिक अभियन्ता, जल संसाधन                        | सदस्य      |
| 11 | परियोजना प्रबन्धक एवं अधिकाधिक अभियन्ता (भू-संसाधन) | सदस्य सचिव |

उक्त कमेटी प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर जिले में संचालित आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के कन्वर्जेन्स, स्थानीय विवादों के निपटान एवं प्रगति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करेगी।

उक्त आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी की दिनांक 29.07.2013 को सम्पन्न 6ठी बैठक द्वारा अनुमोदित है।

  
(एम.एस.काला)  
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, एस.एल.एन.ए. एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, महानरेगा, जयपुर
9. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
10. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (समस्त जिले)
11. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
12. निदेशक, उद्यान विभाग, राज. जयपुर।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त जिले)
14. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
15. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
16. उपनिदेशक (समस्त), निदेशालय, जयपुर।
17. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त जिले) को भेजकर लेख है कि आपके जिले से सम्बन्धित आदेश में उल्लेखित समस्त अधिकारियों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करना सुनिश्चित करे।
18. चीफ जनरल मैनेजर, नाबार्ड, नेहरू प्लेस के पीछे, टोंक रोड, जयपुर।
19. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।

  
निदेशक